भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3272
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

निजी/सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों का रोजगार छूटना

3272. श्री प्रतापराव जाधवः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में निजी और सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों का रोजगार छूटने की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महामारी से प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है कि ऐसी स्थिति के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार छूटने के रुख से कैसे निपटा जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर की अवधि के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं। नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के लिए है। 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का वर्ष-वार/राज्य वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मासिक पे-रोल आंकडो का प्रकाशन भी कर रहा है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशदाता आधार में संचयी शुद्ध पे-रोल वृद्धि 77.08 लाख है, जो कि पिछले वर्ष (78.58 लाख) के लगभग बराबर है। यह देखा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के महीने को छोड़कर 2020-21 के प्रत्येक माह में ईपीएफओ अंशदाता आधार द्वारा दर्शाए गए शुद्ध पे-रोल में वृद्धि हुई है।

कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों में से 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ उन बीमित कामगारों, जिन्होंने कोविड-19 के कारण रोजगार गंवा दिया है, के लिए लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों तक बाधा रहित क्रेडिट प्रवाह को बनाए रखने के लिए अनेक मौद्रिक एवं तरलता उपाय किए हैं।

*****

अनुबंध

निजी/सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों का रोजगार छूटना के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3272 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**पीएलएफएस**	
		2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	54.8	55.5
2	अरुणाचल प्रदेश	40.9	44.3
3	असम	43.4	43.2
4	बिहार	36.4	39.7
5	छत्तीसगढ	61.2	65.4
6	दिल्ली	44.5	43.3
7	गोवा	45.9	47.3
8	गुजरात	49.7	54.7
9	हरियाणा	41.9	42.9
10	हिमाचल प्रदेश	63.9	70.5
11	जम्मू और कश्मीर	52.9	52.5
12	झारखंड	44.9	53.6
13	कर्नाटक	49.3	53.1
14	केरल	44.9	45.3
15	मध्य प्रदेश	52.3	57.7
16	महाराष्ट्र	50.6	55.7
17	मणिपुर	44.3	45.5
18	मेघालय	61.8	58.6
19	मिजोरम	45.6	50.7
20	नागालैंड	38.1	44.8
21	उड़ीसा	47.6	51.9
22	पंजाब	44.2	47.8
23	राजस्थान	50.0	55.0
24	सिक्किम	61.1	68.8
25	तमिलनाडु	51.4	55.3
26	तेलंगाना	50.6	55.7
27	त्रिपुरा	41.9	49.6
28	उत्तराखंड	41.4	49.5
29	उत्तर प्रदेश	40.8	45.1
30	पश्चिम बंगाल	49.7	49.7
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.1	49.8
32	चंडीगढ़	47.3	45.5
33	दादर और नगर हवेली	68.6	72.2
34	दमन और दीव	55.1	64.5
35	लक्षद्वीप	29.5	48.0
36	पुडुचेरी	47.8	47.7
37	लद्दाख	-	62.7
	अखिल भारत	**47.3**	**50.9**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।